चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 23.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की

(2). आज दिनाँक 23.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अनिल कुमार तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त अभिलाष साहू पुत्र नत्थू साहू निवासी देवारी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना राजापुर

2.उ0नि0 श्री कन्हैया बक्स सिंह

3.आरक्षी शुभम मिश्रा

4.आरक्षी प्रकाश मिश्रा

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊ एवं आबकारी टीम द्वारा संयुक्त रुप से ग्राम मवईकला में छापेमारी करते हुये अभियुक्ता श्रीमती संगीता पत्नी रामबहोरी निवासी ग्राम मवई कला थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

1. 10 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय

2.आबकारी निरीक्षक श्री के.के. मिश्रा

3.उ0नि0 श्री विनय विक्रम सिंह

4.आरक्षी राहुल पाण्डेय

5.आरक्षी प्रवीण पाण्डेय

6.आबकारी आरक्षी लालाराम वर्मा

7. आबकारी आरक्षी लालचन्द्र सरोज

8.आबकारी महिला आरक्षी सुमित्रा देवी

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन अपराध निरीक्षक श्री लाखन सिंह द्वारा ट्रेलर लूट की घटना के एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 17.06.2024 को वादी हरिओम गुप्ता पुत्र स्व0 मंगल शरण गुप्ता निवासी संग्राम कॉलोनी जनपद सतना द्वारा सीमेन्ट से भरे ट्रेलर को चोरी करने के सम्बन्ध में कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 396/2024 धारा 380 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया था। विवेचना से अभियुक्त 1.राधे उर्फ फुल्लू 2. जाकिर 3.अंकेश 4. राधेश्याम 5. प्रसादे 6. अली 7. नीलू का नाम प्रकाश में आया दिनांक 22.06.2024 को अभियुक्त 1. राधे उर्फ फुल्लू 2. राधेश्याम 3. अंकेश 4. जाकिर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आज पुनः कोतवाली कर्वी पुलिस ने अथक प्रयास करते हुए 01और अभियुक्त मो0 अली पुत्र मुन्ना निवसी पुलिस चौकी के पीछे भरवारी पुरानी बाजार थाना कोखराज जनपद कौशाम्भी गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1.अपराध निरीक्षक श्री लाखन सिंह कोत0 कर्वी

2. आरक्षी प्रशान्त कुमार

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने के लिये अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री श्याम देव सिंह तथा उनकी टीम द्वारा लूट की घटना का 01 और अभियुक्त को लूटे गये 02 अदद बैटरी ई-रिक्शा के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 13.02.2024 को वादी श्री दीपक निषाद पुत्र छोटू निषाद निवासी डिलौरा सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी थी कि उनके साथ 03 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा बान तालाब के पास उनके साथ मारपीट कर उनका ई-रिक्शा,मोबाइल फोन व 2500/- रुपये लूट कर ले गये हैं। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 118/2 धारा 392,323,504,506, भादवि में बनाम अज्ञात पंजीकृत किय गया। घटना के अनावरण करते हुए कोतवाली कर्वी ने प्रकाश में आये अभियुक्त गुड्डा उर्फ आंनद चतुर्वेदी पुत्र स्व0 गोवर्धन निवासी कौबरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को चोरी के ई-रिक्शा के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भा0द0वि0 करते हुए जेल भेज दिया था तथा लगातार शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे कि आज दिनांक 23.06.2024 को 01 और अभियुक्त मनोज सिंह उर्फ बूटे सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी ऐंचवारा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 02 अदद बैटरी ई-रिक्शा के साथ गिरफ्तार किया गया।

<u>बरामदगीः-</u>

चोरी का 02 अदद बैटरी ई-रिक्शा

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री श्याम देव सिंह कोत0 कर्वी
2. आरक्षी आकाश पटेल
3. आरक्षी मंगल सिंह

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा तथा उनके हमराही आरक्षी जयप्रकाश विश्वकर्मा द्वारा मु0अ0सं0 34/2024 धारा 419/420/467/468/471/323/506 भा0द0वि0 के वांछित अभियुक्त रामकरन कोरी पुत्र स्व0 रामआसरे कोरी उम्र निवासी हनुमान मंदिर के पास चितरागोकुलपुर चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में महिला थाना की पुलिस टीम द्वारा आपसी पारिवारिक झगडे को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती सुलेखा देवी पत्नी हरिराम पुत्री हरिप्रसाद निवासी चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट हाल पता लौढिया बुजुर्ग थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ने अपने पति के विरुद्ध मारपीट,गाली गलौज और दान दहेज मांगने करने के सम्बन्ध में महिला थाना में प्रार्थना पत्र दिया गया। थानाध्यक्ष महिला थाना तथा उनकी टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाना पर बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.थानाध्यक्ष महिला थाना श्रीमती सविता सरोज

2.महिला आरक्षी दीपिका सिंह